रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1973/पौष 1, 1895

No. 306] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24, 1973/PAUSA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November 1973

G.S.R. 534(E).—Whereas in pursuance of clause (xiv) of sub-section (3) of section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government has nominated Shri N. C. Krishnamurthy, Adviser (Petroleum and Chemicals), as a Member of the Central Insecticides Board (hereinafter referred to as the said Board) vice Shri L. Kumar;

Whereas in pursuance of clause (xviii) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government has nominated Director of Agriculture, Punjab, and Director of Agriculture, Tamil Nadu, as Members of the said Board vice Dr. Gursham Singh and Dr. N. Hari Bhaskar, respectively;

And whereas in pursuance of clause (xix) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government has nominated Dr. G. S. Kalkat, Agriculture Commissioner, Government of India, Ministry of Agriculture, as a Member of the said Board vice Dr. A. S. Cheema;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), No. G.S.R. 301 dated the 27th February, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading 'Members nominated', for the entries against the items (xii), (xiii), (xiv) and (xv), the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"(xii) Shri N. C. Krishnamurthy, Adviser, Ministry of Petroleum and Chemicals, Government of India, New Delhi.

(xiii) Director of Agriculture, Punjab, Chandigarh.

(xiv) Director of Agriculture, Tamil Nadu, Madras.

(xv) Dr. G. S. Kalkat, Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi."

[No. 19-1/73-PPS]

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1973

सा० का०नि० 534 (अ).—यतः कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xiv) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने श्री एल० कुमार के स्थान पर श्री एन० सी० कृष्णमूर्ति, सलाहकार (पेट्रोलियम और रसायन) को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त बोर्ड कहा गया है) के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ;

यतः उक्त अधिनयिम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xviii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने डा० गुरशाम सिंह और डा० एन० हरि भास्कर के स्थान पर क्रमशः कृषि निदेशक, पंजाब और कृषि निदेशक, तमिलनाडु को उक्त बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xix) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने डा० ए० एस० चीमा के स्थान पर डा० जी० एस० कल्कट, कृषि आयुक्त, भारत, सरकार, कृषि मंत्रालय को उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में 'नामनिर्दिष्ट सदस्य' शीर्षक के अन्तर्गत मद (xii), (xiii), (xiv) और (xv) के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xii) श्री एन० सी० कृष्णमूर्ति, सलाहकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(xiii) कृषि निदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़ ।

(xiv) कृषि निदेशक, तमिलनाडु, मद्रास ।

(xv) डा० जी०एस० कलकट, कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।"

[सं० 19-1/73-पी० पी० एस०]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th November 1973

G.S.R. 535(E).—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, as amended by the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), No. G.S.R. 1216, dated the 19th August, 1971,—

(a) in item (xvi), *for* "Dr. H. S. Zaidi", *read* "Dr. S. H. Zaidi";

(b) in item (xix), *for* "Director of Public Health, Maharashtra, Poona", *read* "Joint Director of Health Services, Poona";

(c) in item (xxi), *for* "General", *read* "Central".

[No. 19-1/73-PPS]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1973

सा० का० नि० 535 (अ).—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1216, तारीख 19 अगस्त, 1971 द्वारा यथासंशोधित भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में,—

(क) मद (xvi) में, "डा० एच० एस० जेदी" के स्थान पर "डा० एस० एच० जेदी" पढ़ें ;

(ख) मद (xix) में "लोक स्वास्थ्य निदेशक, महाराष्ट्र, पूना" के स्थान पर "संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पूना" पढ़ें ;

(ग) मद (xxi) में "जनरल" के स्थान पर "केन्द्रीय" पढ़ें ।

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973